




**इलाहाबाद विकास प्राधिकरण**  
**गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र**

यह अनुमति केवल 1050 नगर नियोजन तथा विन्यास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत ही जारी है, किन्तु अर्थात् यह न समझना चाहिये कि उस प्राप्ति के समान्य में जिन पर मजला को इतरों किराई अकार का दिरों स्थानीय विकास या इतर स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा कर्म के अधिकारों आधिकारों पर किराई का कोई प्रभाव पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के प्राधिकार या स्वाधिक के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रतिनियों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्री हेमन्त कुमार  
पिता/पति का नाम श्री श्री. राजेश कुमार  
मुहल्ला डी.डी. 108 (कई) गेट नम्बर

में गृह में दखिन स्थान पर जो मूर्धन्य के साथ प्रस्तावित किया गया है, स्थिति के विरुद्ध भवन नियंत्रण अधिनियम 1956 के अन्तर्गत निर्माण अथवा पुनः निर्माण नहीं किया जायेगा।



श्री. सधु  
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण  
इलाहाबाद

**नोट :-** अतिरिक्त प्रतिनियों के बिना नहीं।

1. यह स्वीकृत यह केवल नौ वर्ष की अवधि के लिए है। यदि भवन का निर्माण स्वीकृत मानाचित्र के अनुसार नहीं किया जाता है तो उसे विराम्य जा सकता है। जिसका पूर्ण अर्थ धारा 27(1) पर होगा। यदि कोई इमारत किन्हीं सार्वजनिक विकास प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगी तो उसके नियंत्रणों को गृह निर्माण अधिनियम अथवा इस प्रकार की यह अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत स्थानीय होगा तथा स्थिति विन्यास प्राधिकरण द्वारा इधरा दिया जायेगा और उसके तहत के कार्य का भार उस इमारत बनाने वाले से 10 प्रतिशत गैर-गृह गृह के साथ तब तक लिया जायेगा।
2. इस अनुमति-पत्र में लड़क, गली या नाली पर बढ़ा कर प्रयोज्यम जैसे कि मोटोके, कारवा, तोड़ना, सीढ़ी, जल नली अथवा पुनः निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नये नये विरुद्ध भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी।
3. भवन निर्माण से यदि नाली के राइड की नली अथवा लड़क या नाली के किसी भाग (जो मजदम के 3 फुटो गैर-गैर अथवा उसके आकार के कारण बंद गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी दायर हो जाने पर 15 दिन के भीतर अपना यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और सीधे तौर पर पहले ही उसे अपने खर्च से नरमन कर पुरवत अवस्था जिसे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
4. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखा होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इंजीनियर इलेक्ट्रिकिटी एक्ट 1956) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी अंश में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।
5. धारा की नियमानुसार विन्यास प्राधिकरण को भवन की जीव तक तथा उस तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना भवन आकार होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके विरोधाभा में भवन निर्मित हुआ है।
6. यदि निर्माण में ग्राहक द्वारा का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को ही नई स्वीकृति रह सकती जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत धरित पर उक्त अधिनियम की धारा 27(1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

- कमांक-7 स्थल पर एकल आवासीय निर्माण किया जायेगा, अन्य निर्माण अथवा उपबन्धन पाये जाने पर मानाचित्र स्वतः निरस्त राखा जायेगा।
- कमांक-8 स्थल पर रेड लाइनिंग/सेट बैंक हेतु छोड़े गये ओपन भाग में कोई नये निर्माण नहीं किया जायेगा।
- कमांक-9 स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानाचित्र स्वतः निरस्त राखा जायेगा।

*Recommended  
Home No. 108/9-2-1970*

श्री. सधु  
प्रमुख अधिकारी (गृह)  
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण  
इलाहाबाद

